Date - 28 March 2022

अनुच्छेद 371

- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जल्द ही 'अनुच्छेद 371 (एच)' में संशोधन की मांग के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं।
- 'अनुच्छेद 371 (एच)' में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान हैं, जिनमें संशोधन करके राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) के तहत नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों के बराबर किया जा सकता है।

अन्य मांगें:

- 'अनुच्छेद 371(एच)' में संशोधन करके राज्य की जनजातियों के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधानों, राज्य की जनजातियों के प्रथागत कानून और प्रक्रिया को नागरिक से संबंधित प्रावधानों को शामिल करके और मजबूत किया जाना चाहिए। और जनजातियों के प्रथागत कानूनों के अनुसार आपराधिक प्रशासन, और स्थानीय लोगों द्वारा राज्य की भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की सुरक्षा।
- जनजातीय समुदायों के अधिकारों और प्रथागत कानूनों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।

'अनुच्छेद 371' (अनुच्छेद 371) के बारे में:

- अनुच्छेद 369 से 392 को संविधान के भाग XXI में 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' शीर्षक के तहत शामिल किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 371 में पूर्वोत्तर के छह राज्यों सहित कुल 11 राज्यों के लिए "विशेष प्रावधान" किए गए हैं।
- संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 संविधान का हिस्सा थे; और अनुच्छेद 371ए से 371जे को बाद में संविधान में शामिल किया गया।

संक्षिप्त अवलोकन:

अनुच्छेद **371** (महाराष्ट्र और गुजरात)**:**

राज्यपाल के पास निम्नलिखित के लिए विशेष जिम्मेदारी है-

Yojna IAS

- विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए 'अलग विकास बोर्ड' की स्थापना; उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय हेतु निधियों का समान आवंटन सुनिश्चित करना तथा राज्य सरकार के अधीन तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएँ एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद **371**ए (**13**वां संशोधन अधिनियम, **1962**), नागालैंड:

- केंद्र और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच 16 सूत्री समझौते के बाद 1960 में इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया था। इस समझौते के फलस्वरूप 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ।
- संसद नागा धर्म या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार नागरिक और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णय, और राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर कानून नहीं बना सकती है।

अनुच्छेद **371**बी (**22**वां संशोधन अधिनियम, **1969**), असम:

- इसके तहत, भारत के राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के आदिवासी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों या ऐसे सदस्यों से जो वह ठीक समझे, एक समिति के गठन और कार्यों के लिए प्रावधान कर सकते हैं।

अनुच्छेद **371**सी (**27**वां संशोधन अधिनियम, **1971**), मणिपुर:

- राष्ट्रपति, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कार्यों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, जिसमें उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए उस विधान सभा के सदस्य शामिल हों।

अनुच्छेद **371D** (**32** वां संशोधन अधिनियम, **1973**; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, **2014** द्वारा प्रतिस्थापित), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:

- राष्ट्रपति, समग्र रूप से आंध्र प्रदेश राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य के विभिन्न हिस्सों से संबंधित लोगों के लिए "सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामले में समान अवसर और सुविधाएं" प्रदान कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति राज्य सरकार से राज्य की सिविल सेवा में पदों के किसी वर्ग या वर्गों, या राज्य के अधीन सिविल पदों के किसी वर्ग या वर्गों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न स्थानीय संवर्गों में गठित करने की अपेक्षा कर सकते हैं, और इस प्रकार गठित स्थानीय संवर्ग ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को आवंटित करें।

अनुच्छेद **371**ई:

- संसद, कानून द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकती है। परन्तु यह इस भाग के अन्य उपबंधों के अर्थ में कोई "विशेष उपबंध" नहीं है।

अनुच्छेद **371**एफ (**36**वां संशोधन अधिनियम, **1975**), सिक्किम:

- सिक्किम विधान सभा के सदस्य लोकसभा में सिक्किम के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, संसद को ऐसा प्रावधान करने का

Yojna IAS

अधिकार दिया गया है कि सिक्किम विधान सभा में कुछ सीटें इन वर्गों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएं।

अनुच्छेद **371**जी (**53**वां संशोधन अधिनियम, **1986**), मिजोरम:

- इस प्रावधान के अनुसार संसद 'मिज़ो', मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, धार्मिक और सामाजिक न्याय के कानून, मिज़ो प्रथागत कानून के अनुसार नागरिक और आपराधिक न्यायिक प्रशासन के निर्णयों के मामलों में, भूमि स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर कानून स्थानांतरण हो सकता है – जब तक कि राज्य विधानमंडल ऐसा करने का निर्णय नहीं लेता।

अनुच्छेद **371H** (**55**वां संशोधन अधिनियम, **1986**), अरुणाचल प्रदेश:

- अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने की राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है और उसके निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाएगा और वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुच्छेद **371J** (**98**वां संशोधन अधिनियम, **2012**), कर्नाटक:

- इस लेख में हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड का प्रावधान किया गया है। उक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय के लिए समान राशि आवंटित की जाएगी और इस क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में नौकरियों के लिए आनुपातिक आधार पर और राज्य सरकार के शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और संगठनों में जन्म या अधिवास के आधार पर उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।

अनुच्छेद **371** (गोवा):

- अनुच्छेद 371I गोवा से संबंधित है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे 'विशेष' माना जा सके।

महत्व:

- ये सभी प्रावधान अलग-अलग राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं, और विशिष्ट सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत सूची तैयार करते हैं जिन्हें इन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इन सभी अनुच्छेदों में 371 से 371J तक, अनुच्छेद 371I, जो गोवा से संबंधित है, इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है जिसे "विशेष" माना जा सकता है। अनुच्छेद 371E, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, भी "विशेष" नहीं है।

Yojna IAS

अहीर रेजिमेंट

- अहीर समुदाय के सदस्य भारतीय सेना में ‘अहीर रेजिमेंट’ के गठन की मांग कर रहे हैं।

विरासत:

- ‘अहिरवाल क्षेत्र’ में दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव जिले शामिल हैं और यह 1857 के विद्रोह के अहीर नायक राव तुला राम से जुड़ा है।
- 1962 में चीन के साथ ‘रेजांग ला की लड़ाई’ में हरियाणा के अहीर सैनिकों की वीरता की कहानी के बाद यह समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर आया।
- इस क्षेत्र से, भारतीय सेना में परंपरागत रूप से बड़ी संख्या में सैनिक होते हैं।

अहीर समाज की मांग :

- इस समुदाय के सदस्य लंबे समय से तर्क दे रहे हैं कि अहीरों को उनके नाम पर एक पूर्ण पैदल सेना रेजिमेंट चाहिए, और वर्तमान कुमाऊं रेजिमेंट में केवल दो बटालियन और अन्य रेजिमेंट में एक निश्चित प्रतिशत उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इस मांग पर सेना की प्रतिक्रिया:

- भारतीय सेना ने किसी भी नए वर्ग या जाति आधारित रेजिमेंट की मांग को खारिज कर दिया है। सेना का कहना है कि डोगरा रेजीमेंट, सिख रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट और पंजाब रेजीमेंट जैसी जातियों और क्षेत्रों पर आधारित पुरानी रेजीमेंट जारी रहेंगी, अहीर रेजीमेंट, हिमाचल रेजीमेंट, कलिंग रेजीमेंट, गुजरात रेजीमेंट या किसी आदिवासी रेजीमेंट की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- 18 नवंबर, 2021 को रेजांग ला की लड़ाई ने 59 साल पूरे किए। इस अवसर पर लद्दाख के चुशुल में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। इसके बाद से ‘अहीर रेजीमेंट’ की मांग तेज हो गई है।

‘रेजांग ला‘ का स्थान:

- ‘रेजांग ला’ लद्दाख में ‘वास्तविक नियंत्रण रेखा’ (एलएसी) पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है।
- यह दर्रा ‘चुशुल’ गांव और स्पंगगुर त्सो झील के बीच स्थित है। स्पंगगुर त्सो झील भारतीय और चीनी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है।

Yojna IAS

- ‘रेजांग ला’ में 18 नवंबर 1962 को एक वीर युद्ध लड़ा गया था।

इस लड़ाई के बारे में:

- 1962 के भारत-चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजीमेंट के सैनिकों ने ‘रेजांग ला’ की लड़ाई में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को कई मुठभेड़ों में हराया था।
- अधिक संख्या में होने के बावजूद, रेजिमेंट के सैनिकों ने बेहद कम तापमान और सीमित गोला-बारूद के साथ लड़ाई लड़ी, और अंतिम सैनिक के जीवित रहने तक लड़ाई जारी रखी।

इस क्षेत्र का महत्व:

- रेजांग ला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चुशूल घाटी’ की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आक्रमणकारी के इस स्थान पर पहुंचने के बाद उसे ‘लेह’ तक खुली सड़क मिल सकती है।
-

Swadeep Kumar

Yojna IAS